



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-10122024-259289  
CG-GJ-E-10122024-259289

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 977]  
No. 977]

नई दिल्ली सोमवार, दिसम्बर 9, 2024/ अग्रहायण 18, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2024/ AGRAHAYANA 18, 1946

### अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

#### अधिसूचना

गांधीनगर, 5 दिसम्बर, 2024

सं. आईएफएससीए-पीएमटीएस/9/2023-प्रेसिडेंट्स मेटल्स:—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, एतद्वारा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड, गुजरात के आवेदन पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के विनियम 4 के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए विचार करने और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार, बुलियन बाजार और जनहित में भी होगा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के विनियम 6 के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुलियन अनुबंधों के संबंध में अधो वर्णित या यथा-निर्धारित या भविष्य में लगाई गई शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिए 9 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2025 तक बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के रूप में मान्यता का नवीनीकरण प्रदान करता है:

- बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा।

"स्पष्टीकरण:—'बुलियन अनुबंध' का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के अधीन इसे दिया गया है।"

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./746/2024-25]

**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY****NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 5th December, 2024

**No. IFSCA-PMTS/9/2023-Precious Metals:**—The International Financial Services Centres Authority, having considered the application by India International Bullion Exchange IFSC Limited, Gujarat for grant of recognition under Regulation 4 of the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, bullion market and also in the public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 12 of The International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with Regulation 6 of the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 renewal of recognition to it as Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation for one year, commencing on the 9th day of December 2024 and ending on 8<sup>th</sup> day of December 2025 in respect of bullion contracts, subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation shall comply with conditions as may be prescribed by IFSCA from time to time.

**“Explanation:** - “bullion contract” shall have same meaning as assigned to it under International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020.”

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./746/2024-25]